न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा – पत्र

उनवान

घनश्याम बनाम हरिराम

किस्म मुकदमा धारा 223 अपील संख्या 46 / 2020

अभिभाषक अपीलांट श्री ए0के0जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट श्री एन0के0गुप्ता R1 TO R3

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.1.21	पत्रावली वास्ते प्रार्थना पत्र धारा 96 एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत आदेश हेतु पेश हुई। हमने प्रार्थना पत्रों का एवं पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभिभाषकगण उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया अभिभाषक अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत दावा दिनांक 06.10.2005 में वादग्रस्त आराजी समस्त नाथान समाज रामठी के नाम दर्ज है। घनश्याम का क्या अस्तित्व था। जिन्हें प्रतिनिधि बनाया। प्रतिवादी नं0 2 का दिनांक 24.04.2006 को जवाव बंद कर दिया एवं दिनांक दिनांक 24.07.2006 को गवाहो के बयान हुए। प्रतिवादी नं0 1 के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही नहीं हुई और 2007 में दावा डिक्री हुआ। आराजी 500 रूपये में कय करना वताया और अधीनस्थ न्यायालय ने आराजी क्रय दस्तावेज के आधार पर वाद डिक्री किया गया जो विधि अनुसार नहीं है। अभिभाषक प्रार्थी ने एग्रीव्ड पर्सन होने बावत नजीरें आरआरडी 2004 पेज 607, आर आर टी 2019 (2) पेज 1206 प्रस्तुत की। प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के सम्वंध में रूलिंग एआईआर 1987 एससी पेज 1353, आरआरडी 2011 पेज 233 आरआरडी 1992 पेज 17, आरआरडी 1992 पेज337 प्रस्तुत की।	

(महेन्द्र दाधीच)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय भवानीमण्डी ने दिनांक 30.07.2007 निर्णित डिक्री से वादी रेस्पोडेंट को खातेदार घोषित किया। वादग्रस्त आराजी अपीलांट समस्त राजगुरू नाथ विकास समिति रामठी के नाम नहीं थी। अपीलांट घनश्याम नाथ व रामचन्द्र नाथ समिति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष बनकर आये है। इनका विवादित जमीन से कोई सम्बंध नहीं है, ये एग्रीव्ड पर्सन ही नहीं है तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री से इनके हितों पर कोई प्रभाव नही पड़ता। अभिभाषक अप्रार्थी ने एग्रीव्ड पर्सन बाबत नजीरे आरबीजे 2016 पेज 318, आरबीजे 2016 पेज 378, आरआरटी 2018–19 पेज 206 पेश की तथा कथन किया धारा 96 के तहत प्रार्थी की अपील स्वीकार नहीं हो सकती। अभिभाषक अप्रार्थी ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में फैसला दिनांक 30.07.2007 को हुआ एवं अपील दिनांक 25.08.2020 को पेश की तथा सन् 2007 के बाद प्रार्थीगण को जमीन की याद नहीं आई लगभग 13 वर्ष बाद अपील करने का कारण भी झूठा है, कोई ठोस कारण नहीं है। प्रार्थी ने धारा 5 के प्रार्थना पत्र में दिनांक 20.08.2020 के स्थान पर दिनांक 30.07.2007 कर दी गई जो हमारे द्वारा नकल लेने के बाद की है अतः धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज करे। जब तक डीले कन्डोन नहीं होता तब तक अपील पर सुनवाई नही हो सकती इस सम्बन्ध में नजीर एआईआर 1998 एससी पेज 2276, 2017 (1) आरआरटी पेज 117, 2019 आरबीजे पेज 658, डीएनजे एससी 2013 पेज 829 पेश की।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया प्रकरण में अपील घनश्याम नाथ व रामचन्द्र नाथ जरिये अध्यक्ष व उपाध्यक्ष राजगुरू नाथ विकास समिति रामठी द्वारा पेश की गई। समिति का रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र वर्ष 2012–13 का प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में वादी हरिराम वगैरह तथा प्रतिवादी समस्त नाथान रामठी तहसील पचपहाड जर्ये प्रतिनिधि श्री घनश्याम आत्मज रतनलाल जाति नाथबाबा निवासी रामठी अंकित है अतः अपीलांट का वादग्रस्त आराजी से किस प्रकार सम्बंध है, यह स्पष्ट नहीं है। अपीलांट द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस प्रकार इनके हित प्रभावित होते है। रिकार्ड में वादग्रस्त आराजी समस्त नाथान हिस्सा पूर्ण रामठी संस्था के लिए अंकित है इससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट का वादग्रस्त आराजी से कोई सम्बंध नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन करने उभयपक्ष अभिभाषक की बहस पर मनन करने व प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि अपीलांट का वादग्रस्त आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है अतः अपीलांट एग्रीव्ड पर्सन नहीं होने से धारा 96 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट कानूनी बिन्दू पर खारिज की जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील का निर्णय मेरिट पर नही की जाने की स्थिति में धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार का निर्णय पारित करने की कोई आवश्यकता नही रह जाती है क्योंकि अपील का निस्तारण धारा 96 के प्रार्थना पत्र के आधार पर किया गया है तदनुसार अपील अपीलांट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

(1) मियाद बाहर F.D.
(2) धारा 96 सी.पी.सी.

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन आर ए ए , कोटा

(अखेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.) 25/8/2020

1. घनश्याम नाथ पुत्र सन्तू नाथ आयु 54 वर्ष जाति नाथ जर्ये अध्यक्ष समस्त राजगुरू नाथ विकास समिति रामटी (भवानी मण्डी), जिला झालावाड राजस्थान
2. रामचन्द्र नाथ पुत्र सन्तूनाथ आयु 52 वर्ष जाति नाथ जर्ये उपाध्यक्ष समस्त राजगुरू नाथ विकास समिति रामटी (भवानी मण्डी), जिला झालावाड राजस्थान

---अपीलान्टस

बनाम

1. हरीराम आत्मज गोपीलाल जी
2. दुर्गा प्रसाद आत्मज गोपीलाल जी
3. घनश्याम पारेता आत्मज गोपीलाल जी
4. बजरंगी बाई पत्नी स्वर्गीय गोपीलाल जी (डिलिट) आदेश दि 10-11-2020
   जाति कलाल निवासीगण भवानी मण्डी तहसील पचपहाड जिला झालावाड
5. समस्त नाथान परिवार रामटी तहसील पचपहाड जर्ये प्रतिनिधि घनश्याम आत्मज रतनलाल जाति नाथ बाबा हाल निवासी रामटी भवानी मण्डी तहसील पचपहाड जिला झालावाड मृतक कायम मुकामान :–
   - 5/1. दुर्गेश पुत्र घनश्याम
   - 5/2. नीलू पुत्री घनश्याम
   - 5/3. लाली पुत्री घनश्याम
   - 5/4. बसन्ती बाई पत्नी स्वर्गीय घनश्याम
     जाति नाथ बाबा हाल निवासीगण रामटी भवानी मण्डी तहसील पचपहाड जिला झालावाड
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब पचपहाड जिला झालावाड

--- रेस्पोडेन्टस